

April 16, 2025

To
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 500306
ISIN: INE903A01025

Sub: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated April 15, 2025 and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith clippings of the newspaper advertisements regarding completion of dispatch of the Postal Ballot Notice published in the following newspapers:

- ❖ Business Standard-English- (All India Editions)
- ❖ Aaj-Hindi- (Kanpur Edition)

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. www.jaykayenterprises.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jaykay Enterprises Limited

Shikha Rastogi
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above



फ्लिपकार्ट ने शुरू किया सुपर कूलिंग डेज नयी दिल्ली। घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने अपने सुपर कूलिंग डेज के 7वें संस्करण का एलान कर दिया है। यह फ्लिपकार्ट का सालाना सेल इवेंट है, जिसमें ग्राहकों को किफायती कीमत पर कूलिंग अप्लायंस मिलते हैं। इस साल यह सेल इवेंट 16 से 24 अप्रैल तक चलेगा। इसमें टॉप अप्लायंस ब्रांड व एक्सइटिंग डीलस के साथ शॉपिंग का सुगम अनुभव मिलेगा। कूलिंग अप्लायंस को अपग्रेड करने के बारे में बेहतरीन मौका है।

आज कानपुर 16 अप्रैल 2025

खरीददारी हावी, झूमा शेयर बाजार

निवेशकों की सम्पत्ति करीब दस लाख करोड़ रुपये बढ़ी

मुम्बई, 15 अप्रैल (इएमएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे

सेंसेक्स 1577.63 अंक चढ़ कर 76,734.89 पर बंद

संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 75 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाये जाने पर अस्थायी रोक के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी आयी। इसका सकारात्मक असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर ऊपर आये। दिनभर के कारोबार के बाद 30 तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 1577.63 अंक करीब 2.10 फीसदी की तेजी के साथ 76,734.89 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी अंत



में यह 500 अंक तकरीबन 2.19 फीसदी ऊपर आकर 23,328.55 पर बंद हुआ। इस दौरान निवेशकों की सम्पत्ति में भी काफी बढ़त रही। कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 412,29,007 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को यह 402,34,966 करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों की सम्पत्ति करीब दस लाख करोड़ रुपये बढ़ गयी। बाजार में तेजी का सबसे बड़ कारण ट्रंप की उस टिप्पणी को माना जा रहा है। इसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को टैरिफ से अस्थायी राहत देने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि ऑटोमोबाइल

व्यापार

आज कानपुर 16 अप्रैल 2025

म्युचुअल फंड में जोरदार ग्रोथ, एयूएम 25 फीसदी बढ़ा

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (इएमएस)। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, म्युचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन उछाल देखा, जिसके परिणामस्वरूप कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 25 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गयी। इस ग्रोथ का मुख्य कारण थी कुछ चुनिंदा म्युचुअल फंड कम्पनियों की तेज रफ्तार ग्रोथ, जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन निप्पान इंडिया म्युचुअल फंड का रहा। निप्पान इंडिया ने वित्त वर्ष 25 में 29 फीसदी की बढ़त हासिल की और मार्च 2025 तिमाही में उनका एयूएम 5.6 लाख करोड़ पहुंच गया।

दूसरे सबसे बड़े फंड हाउस आईसीआईसीआई पूडेशल म्युचुअल फंड ने भी अच्छे प्रदर्शन किया और उनका एयूएम साल भर में दो लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। कम्पनियों को कनाडा, मैक्सिको और अन्य जगहों से संयंत्र दूसरी जगह ले जाने के लिए समय चाहिए। अधिकर हेवीवेट शेयरों में भी बढ़त रही। इनमें

निफ्टी 500 अंक उछल कर 23,328.55 पर बंद

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, एमएलएम, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स जैसे शेयर शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में भी ट्रंप की टिप्पणी के बाद सकारात्मक माहौल रहा। जापान का निफेई इंडेक्स एक फीसदी ऊपर था, ऑस्ट्रेलिया का एसएसक्स 200 0.37 फीसदी ऊपर आया और हांगकांग के हेंगसेंग इंडेक्स में 0.2 फीसदी की तेजी रही। वहीं वॉल स्ट्रीट पर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.78 फीसदी बढ़कर 40,524.79 पर बंद हुआ। नैस्टेक कम्पोजिट 0.64 फीसदी उछलकर 16,831.48 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 0.79 फीसदी बढ़कर 5,405.97 पर बंद हुआ।

JKE™

जीआरएफ: LS510UP189PLC00187पंजीकृत कार्यालय: कनला टावर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001ईमेल: cs@jaykayenterprises.com; वेबसाइट: www.jaykayenterprises.comटेलीफोन: +91 512 2371478-81.

पोस्टल बैलट की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अभिविन्य, 2013 की धारा 108 और धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, विनियमन 44 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्व लागू प्रावधानों के साथ, कंप्यूटिड कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र ('एनसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभूति और विनियम ब्यूरो द्वारा जारी परिपत्र ('सेबी परिपत्र'), भारतीय कंपनी अधिनियम संश्लान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवाय मानक ('परांपर्य-2') और अन्य लागू प्रावधान, जिनमें दर्जाना में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या नूतन अभिविनयन शामिल हैं, कंपनी दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के डाक मतपत्र नोटिस में विनिर्दिष्ट विशेष व्यवसायों के संबंध में इम्पटीकरजालक विवरण सहित के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ मतदान ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से पोस्टल बैलट के जरिए सदस्यों का अनुमोदन चाहती है।उपयुक्त एनसीए परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल बैलट की सूचना मंगलवार, 15 अप्रैल, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक नोट के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('सीपी') या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट ('आर्टीएन') यानी अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 तक पंजीकृत है।तदनुसार, इस पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीप्रेड विनियमन टिकलाई तिकफले के साथ नोटिस की शीर्षक प्रति नहीं भेजी गई है और शेयरधारकों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति को व्यक्त करना अपेक्षित है।पोस्टल बैलट की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.jaykayenterprises.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर्ड/लाभार्थी रजारी की सूची में दर्ज है, उसे ही ई-वोटिंग के लिए पत्र माना जाएगा। नोटिस का कोई भी प्रावधान जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी का सदस्य नहीं था, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।कंपनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025, को कट-ऑफ तिथि पर उनके द्वारा दखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में की जाएगी।

2. कंपनी में नोटिस में निर्धारित संकल्प पर अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। पोस्टल बैलट नोटिस में ई-वोटिंग के निर्देश विस्तार से दिए गए हैं।

3. रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 16 अप्रैल, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरुवार, 15 मई, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवधि समाप्त होने पर सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा।

4. कंपनी में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए पूर्णकालिक प्रेसिडेंट में कंपनी सचिव सीएसएल कमाना मिल, सदस्यता संख्या सीएसएल 57727 और प्रेसिडेंट प्राणपवन संख्या 23575 है, को संतुल्यक नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग के परिणाम और स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट ई-वोटिंग के समापन से 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित की जाएगी और कंपनी की वेबसाइट यानी www.jaykayenterprises.com और सीडीएसएल की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर डाल दी जाएगी। परिणाम बीएसई लिमिटेड पोर्टल यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध किए जाएंगे।

यदि आपको पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्वर्') और ई-वोटिंग हेल्पडेस्क देख सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 0991 पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसारकृते जयके एंटरप्राइजेज लिमिटेड

हस्ता/-

शिखा रस्तोगी

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या A18226

दिनांक: 15 अप्रैल, 2025

स्थान: नई दिल्ली

(आज समाचार सेवा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक बाक्वेटा फानोसो और कृषि विकास एवं पारिवारिक कृषि मंत्री लुईज पाउलो टेक्सेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक का विषय है 'ब्रिक्स देशों के

बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना'। इस यात्रा के दौरान चौहान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक बैकेटा फेवरो और कृषि विकास एवं पारिवारिक खेलों मंत्री लुईज पाउलो टेक्सेरा के साथ बैठक करेंगे। ये बैठकें कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होंगी।

अमेजन ने स्मार्टवॉर्ड्स प्रोग्राम

को टैबलेट्स तक बढ़ाया

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेज़न इंडिया ने अपने स्मार्टवॉर्ड्स प्रोग्राम का विस्तार टैबलेट्स कैटेगरी तक करने की घोषणा की है। यह फेसला लैपटॉप कैटेगरी में इस प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के बाद लिया गया है। यह प्रोग्राम ग्राहकों की खास जरूरतों और इस्तेमाल का प्राथमिकताओं के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा चुनी गयी सिफारिशों के जरिए डिवाइस चुनना आसान बनाता है। टैबलेट्स अमेज़न इंडिया के लिए एक तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी है। जिसमें 2024 में 26 प्रतिशत सालाना की ग्रोथ दर्ज की गयी है। अमेज़न इंडिया के डायरेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जेवा खान ने कहा कि स्मार्टवॉर्ड्स प्रोग्राम को ग्राहकों की जरूरतों को समझकर डिजाइन किया गया है और इसने खरीदारी के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है।

लापता

मंरी ना श्रीमती रामरती देवी उम्र 95 वर्ष दि० 06.01.2024 को सायं 5.30

बच्चे मेरे निवास 116/99 चण्णप्रताप नगर रावतपुर कानपुर नगर से कहीं चली गयी है। सूचना पहुंचाने पर उचित इनाम

दीनानाथ ठाकुर पुत्र स्व० शिवनाथ ठाकुर मो० 9621172031, 9455844588

दयालू ज्वैल्स

59/45 बिरहाना रोड, कानपुर

BIS HALLMARK Gold Jewellery

IGI Diamond Jewellery Certified

7651966520 ,9336251965

सर्पफ

चाँदी 999 (प्रति किलो)-98000, सिक्का (प्रति सैकड़)। लिवाल-102500, सिक्का (प्रति सैकड़)। बिकवाल-105000, सोना बिसकुट (दस ग्राम)-95700, गिन्ना (प्रति नग)-71400-61600

अनाज (प्रति कुन्तल)

गेहू दड़ा 2400-2450, आरआर-21 2550-2600 गेहू फ़ारम 2650-2700, जौ 2300-2400, ज्वार 2000-2700, बाजरा 2400-2450, मकाई 2400-2500

दलहन

चना 5600-5700 अरहर 5500-5800, मसूर 5500-5600, मटर 3200-3300, उड़द हरा 12500-13000, उड़द काला 7500-8500, मूंग 7000-7500

दाल (प्रति कुन्तल)

अरहर फूल 11000-11100, अरहर स्पेशल 9200-9300, चना दाल 7200-7300 मटर दाल 4200-4300 मसूर मलका 7150-7250 मसूर दाल 7350-7400 उड़द दाल 7800-15000, उड़द धोवा 9500-11500, मूंग दाल 8000-9500, मूंगधोवा 9000-10500

तिहलन (प्रति विवं)

लाही 5800-5900 अलसी 4500-4600, अण्डी 4750-4850, तिल्ली 9500-10300 ,मूंगफली दाना शिवपुरी-8200-9800 बटाली 7500-9000, सेहूआ 4000-4500

तेल (प्रति कुन्तल)

सरसों कोल्हू 13700-13800, अलसी 13100-13200, अंडी 13800-13900

गुड़ (प्रति कुन्तल)

पंसेरा 3700-3800 मंगलाौर लहू 4300-4350 देशी भेल्ली 4000-4100

शक्कर दाना (प्रति कुन्तल)

एम-30 4350-4400

फोनपे ने एप पर लांच किया यूपीआई सर्कल नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। फोनपे ने अपने एप पर यूपीआई सर्कल लांच किया है। जिससे इसके यूजर एक सर्कल बना सकेंगे और अपने परिवार, मित्रों या भरोसेमंद कॉन्टैक्ट की ओर से पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई सर्कल यूजर किसी लिंकड बैंक अकाउंट के बिना अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले लोगों के लिए एक सुविधित ऑनलाइन पेमेंट समाधान उपलब्ध हो जाता है।

आज कानपुर 16 अप्रैल 2025

कार्यालय नगर पंचायत कबरई (महोबा)

पत्रांक : 17/नदप्रदक्रद्/नीलामी/2025–26				दिनांक 15 अप्रैल , 2025			
पुनः नीलामी सूचना							
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत कबरई द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निम्न ठेकों की नीलामी पत्र सङ्ग– 01/नदप्रदक्रद्/नीलामी/2026–26 दिनांक 04 अप्रैल, द्वारा दिनांक 15.04.2025 को बोली होना थी। परन्तु निर्धारित तिथि में कोई बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण उन्हीं नियम व शर्तों पर पुनः दिनांक 21.04.2025 को उक्त नीलामी बोली निम्न विवरण के अनुसार की जानी है। इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि व समय पर कार्यालय नगर पंचायत कबरई में उपस्थित होकर निर्धारित समय में जमानत धनराशि जमा करके खुली नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं। यह ठेका 31 मार्च , 2026 तक वैध होगा। बस अड्डा पड़ाव शुल्क की बोली हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत वरित्र प्रमाण पत्र जो अप्रैल–2025 तक वैध हो, प्रस्तुत करना होगा। अन्य नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पंचायत कबरई से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति 01 बजे तक अपनी समस्त अभिलेख व जमानत धनराशि कार्यालय नगर पंचायत कबरई में जमा कर दें, अन्यथा नीलामी बोली में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।							
क्र.सं.	नीलामी ठेके का नाम	धरोहर धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र	समय	ठेके की अवधि		
1	बस अड्डा पड़ाव शुल्क	50,000 /—	5,00,000 /—	02:00 बजे से 04:00 बजे तक	1 वर्ष		
2	हड़डी चमड़ा	2,000 /—	—	04:00 बजे से 05:00 बजे तक	1 वर्ष		
अधिशारी अधिकारी नगर पंचायत कबरई जनपद महोबा				अध्यक्ष नगर पंचायत कबरई जनपद महोबा			

कार्यालय नगर पंचायत कम्पिल, जनपद–फर्रुखाबाद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद, उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद द्वारा नगर पंचायत कम्पिल सीमान्तर्गत “उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges)” प्रस्तावित करती है। जिसके प्रकाशन के परचात, उसके किसी विन्धु या सभी विन्धुओं पर किसी व्यक्ति / समूह को आपति हो या सुझाव हो तो अधिशारी अधिकारी , नगर पंचायत कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद को सन्बोधित पत्र पत्र के माध्यम से सीधे नगर पंचायत कम्पिल कार्यालय के डाक / डिस्ट्रिक्ट पटल पर या पंजीकृत डाक के माध्यम से या निकाय की ई–मेल ulbkampil@gmail.com के माध्यम से अपनी लिखित आपति / सुझाव नगर पंचायत कम्पिल जनपद–फर्रुखाबाद के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त कराये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी। प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण अचोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। यह उपबिधि “उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges)” दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होगी।

“ उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) नियमावली 2025”

नगर पंचायत कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद की सीमान्तर्गत यह नियमावली लागू होगी एवं “उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) नियमावली 2025” कहलायेगी, नियमावली में निकाय से तात्पर्य है नगर पंचायत कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद से है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) :-

1. **कुड़ा संग्रहण शुल्क** :- निकाय क्षेत्रान्तर्गत डोर–दू–डोर कुड़ा संग्रहण हेतु घरेलू शुल्क 15 (पन्द्रह) रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार / घर की दर से वसूला जायेगा, जो कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों हेतु दो गुना एवं सरकारी प्रतिष्ठानों हेतु तीन गुना होगा।

(नोट– उक्त शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में इकट्ठा वार्षिक रूप से जमा कर दिये जाने की स्थिति में वार्षिक शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।)

(i) यह शुल्क बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर लागू नहीं होगा। बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने कुड़े के प्रसंस्करण का प्रबन्ध स्वयं करना होगा, यदि आप द्वारा उत्सर्जित कुड़े का प्रबन्ध स्वयं नहीं किया जाता है तो निकाय द्वारा प्रबन्ध किये जाने की स्थिति में कम से कम 250 (दो सौ पचास) रुपये से 500 (पाँच सौ) रुपये तक प्रति बार की दर से वसूला जायेगा।

(ii) निकाय क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्रकार के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) उत्सर्जनकर्ताओं को अपने C&D Waste का निस्तारण स्वयं करना होगा। यदि आप द्वारा उत्सर्जित C&D Waste का निस्तारण का प्रबन्ध स्वयं नहीं किया जाता है तो निकाय द्वारा प्रबन्ध किये जाने की स्थिति में कम से कम 500 (पाँच सौ) रुपये से 1000 (एक हजार) रुपये तक प्रति बार की दर से वसूला जायेगा।

2. **शौचालय उपयोगकर्ता शुल्क** :- निकाय सीमान्तर्गत बने समस्त शौचालयों यथा सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों एवं पिक शौचालयों के उपयोग पर यूथीलन प्रयोग हेतु 02 (दो) रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिबार की दर से एवं शौच हेतु 05 (पाँच) रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिबार की दर से वसूल किया जायेगा।

3. **पार्क उपयोगकर्ता शुल्क** :- निकाय सीमान्तर्गत बने समस्त पार्कों में पार्क प्रवेश शुल्क 05 (पांच) रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिबार प्रति पार्क की दर से वसूला जायेगा जो कि केवल तीन घण्टे हेतु मान्य होगा।

(नोट : पार्क में किसी भी तरह का डिस्पोजल /प्रतिबन्धित प्लास्टिक पॉलिथिन ले जाना वर्जित है।)

(i) पार्क प्रवेश का मासिक पास 75 (पचहत्तर रुपये) का एवं वार्षिक पास 70० (सात सौ रुपये) का होगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति बिना प्रवेश शुल्क के पार्क में पाये जाने पर पुनरावृत्ति करने पर 50 0/- (एक सौ रुपये) प्रति व्यक्ति प्रथम बार एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर 250 (दो सौ पचास) रुपये वसूला जायेगा।

4. **विदाउट डस्टबिन जुर्माना**:- निकाय सीमान्तर्गत सभी प्रकार की दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/फेरी वालों/ठेला ठेली वालों को अपने प्रतिष्ठान पर मानक के अनुरूप डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। डस्टबिन न पाये जाने की स्थिति में प्रथम बार जुर्माना 10 0/- (एक सौ) रुपये एवं पुनरावृत्ति करने पर 50 0/- (पाँच सौ) रुपये वसूला जायेगा।

5. **खाद्य पदार्थ सुखा जुर्माना**:- निकाय सीमान्तर्गत जो भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो वे इस खाद्य पदार्थ को ढक कर रखें / बँचे यदि खाद्य पदार्थ को खुला रखा / बेचा जायेगा तो निकाय द्वारा प्रथम बार जुर्माना 10 0/- (एक सौ) रुपये एवं पुनरावृत्ति करने पर 50 0/- (पाँच सौ) रुपये वसूला जायेगा।

दण्ड
उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से बीस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर कि अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो 50 (पचास रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ–साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

(अखिलेश कुमार यादव)
अधिशारी अधिकारी
नगर पंचायत कम्पिल, फर्रुखाबाद

(राजवती यादव)

अध्यक्ष

नगर पंचायत कम्पिल, फर्रुखाबाद

<div>Plaintiff's Advocate Mr. J.A. Pawar</div> <div>PUBLIC SUMMONS</div> <div>In the Court of Small Causes Court No.3</div> <div>At. Ahmedabad</div> <div>Summary Suit No.-1663/2022</div> <div>(Old city civil suit No. 1415/2012)</div> <div>Exh.33</div>	
<div>Plaintiff (s) : NIRMA LIMITED</div> <div>Registered office at 'Nirma House', Ashram Road, Ahmedabad-380009.</div> <div>Versus</div> <div>Defendants : M/s. Etawah Agency</div> <div>A Proprietorship Firm Represented by its Proprietors Mr. Raju Jani Having its address at : 334, Gauripura Etawah, Uttarpradesh-206001.</div> <div>Suit Valued at Rs.6,49,419/-</div> <div>You, the Defendant is hereby informed the above named Plaintiff has instituted the above mentioned Summery Suit against you for recovery of Rs. 6,49,419/- with interest.</div> <div>The court has tried to serve the summons upon you through RPAD. The summons as well as the court process was returned unserved. In the above circumstances, the Public Summons is hereby issued by way of publication in daily News paper as per the Order passed below Exh-32 by the Hon'ble Court.</div> <div>Where the plaintiff above named has instituted a suit against you, the Defendant under Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 for Rs.6,49,419/- with interest, You are hereby summoned to cause an appearance to be tendered for you, within 10 days from date of the publication of this public summons in the News paper, in default whereof the plaintiff will be entitled, after the expiration of the said period of ten days, to obtain a decree for any sum not exceeding the sum of Rs.6,49,419/- and such amount as the court may award for cost together with such interests, if any as the court may order.</div> <div>If you, the Defendant cause an appearance to be entered for you, the Plaintiff will thereafter, serve upon you a summons for Judgment at the hearing of which you will be entitled to move the court for leave to defend the suit.</div> <div>Leave to defend may be obtained if you satisfy the Court by affidavit or otherwise that there is a defence to the suit on the merits, or that is reasonable that you should be allowed to defend suit.</div> <div>GIVEN under my hand and the seal of the Court, this 11th day of March, 2025.</div> <div>Prepared by</div> <div>Compared by</div> <div><div>(B.P. Joshi) Assistant Superintendent</div><div>(M.H. Makwana) Bank Clerk Grade-II</div><div>(J. H. Nayak) Registrar Small Cause Court Ahmedabad.</div></div>	

पत्रांक–14/न0पं0हथगाम/2025–26													दिनांक 14–04–2025			
सार्वजनिक सूचना/अन्तिम प्रकाशन																
एतद्वद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0–912/नौ–9–2024–8																